

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी

:- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या

:- 259/2002 90/2013, (एसीएम) 38/2021 (एसडीओ)

उनवान

गोपी पुत्र भगवाना जाति जाट नि. ढाणी लालावाली तन शाहपुरा तह. शाहपुरा, जिला जयपुर।
(फौत दौराने वाद)

- 1/1. घीसी देवी पत्नि स्व. गोपी
- 1/2. नन्ही देवी पत्नि स्व. महादेव पुत्री स्व. गोपी
- 1/3. सुल्तान पुत्र स्व. महादेव पुत्र स्व. गोपी
- 1/4. राजेन्द्र पुत्र स्व. महादेव पुत्र स्व. गोपी
- 1/5. रामेश्वरी पुत्री स्व. महादेव पुत्र स्व. गोपी
- 1/6. गोठी पुत्री स्व. महादेव पुत्र स्व. गोपी
- 1/7. रामनारायण पुत्र स्व. गोपी
- 1/8. भैवर लाल पुत्र स्व. गोपी
- 1/9. प्रेम देवी पत्नि स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. गोपी
- 1/10. मुकेश पुत्र स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. गोपी
- 1/11. धर्मपाल पुत्र स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. गोपी
- 1/12. रीना पुत्री स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. गोपी
- 1/13. मीना पुत्री स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. गोपी
- 1/14. सन्ती देवी पत्नि स्व. नरसी पुत्र स्व. गोपी
- 1/15. रामसिंह पुत्र स्व. नरसी पुत्र स्व. गोपी
- 1/16. नरेन्द्र पुत्र स्व. नरसी पुत्र स्व. गोपी
- 1/17. मन्दू देवी पुत्री स्व. गोपी
- 1/18. सन्दुर देवी पुत्री स्व. गोपी

समस्त जातियान जाट नि.ढाणी लालावाली तन शाहपुरा तह. शाहपुरा, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. गोधा पुत्र भगवाना (फौत)

- 1/1. सूजा देवी पत्नि स्व. गोदा नाम हजफ आदेश दिनांक 24.06.2021
- 1/2. प्रमाती देवी पत्नि स्व. गोदा
- 1/3. सुमन देवी पुत्री स्व. गोदा
- 1/4. सजना देवी पुत्री स्व. गोदा

2. ज्ञाना पुत्र भगवाना (फौत)

- 2/1. छीतर पुत्र स्व. ज्ञाना
- 2/2. कमली देवी पत्नि स्व. रामकरण पुत्री स्व. ज्ञाना
- 2/3. रामवतार पुत्र स्व. रामकरण पुत्र स्व. ज्ञाना
- 2/4. निकिता } पुत्री स्व. रामकरण पुत्र स्व. ज्ञाना
- 2/5. अनुष्का } नाबालिग संरक्षक माता स्वयं कमली देवी
- 2/6. चौथी देवी पुत्री स्व. ज्ञाना
- 2/7. संतोष देवी पुत्री स्व. ज्ञाना

3. लक्ष्मण पुत्र हरसहाय (फौत)

- 3/1. केसरी देवी पत्नि स्व. लक्ष्मण
- 3/2. भागीरथ पुत्र स्व. लक्ष्मण
- 3/3. आशा देवी
- 3/4. हंसा देवी
- 3/5. सुमित्रा देवी
- 3/6. सुनीता देवी
- 3/7. उर्मिला देवी

पुत्री स्व. लक्ष्मण

4. श्यांसहाय पुत्र हरसहाय

समस्त जातियान जाट नि.ढाणी लालावाली तन शाहपुरा तह. शाहपुरा, जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार (भू-धारक)जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

6. गौरा देवी पत्नि स्व. नाथू (फौत)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

- 6/1. घन्दाराम } पुत्रान स्व. गौरा देवी
 6/2. ग्यारसी लाल }
 6/3. सुन्दर लाल }
 6/4. चौथूराम }
 6/5. महेश } पुत्रान सोनाराम पुत्र स्व. गौरा देवी
 6/6. साधूराम }
 6/7. हरिकेशन }
 6/8. सुरजी पुत्री स्व. सोनाराम
 6/9. सन्ती पुत्री सोनाराम
 6/10. लाडा देवी बेवा सोनाराम

7. हरसहाय पुत्र छोदूराम


समस्त जातियान जाट नि.ढाणी खिजूरावी तन शाहपुरा तह. शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक 30/6/2021

दावा संक्षेप में निम्न प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी परस्पर सगे भाई है तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादी के सगे भाई हरनाथ के लड़के है सजरा खानदान निम्न प्रकार पेश है वादी के पिता भगवाना का देहान्त सन् 1987 में हो गया था-



वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक एवं संयुक्त परिवार की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नं. 2048 लगा. 2054, 2056, 2057/2, 2050/2, 2059, 2067/2, 2060, 2061, 2061/2, 2062/2, 2063/3, 2063, 2064, 2066, 2067/1, 2068, 3338 लगा. 3342 किता 27 रकबा 53 बीघा वाके ग्राम शाहपुरा तह. विराटनगर जिला जयपुर स्थित है शाहपुरा नई तहसील बन जाने से अब तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी सम्वत 2008 से 2027 भगवाना पुत्र बेगा कौम जाट साकिन देह के कदीम से नाम दर्ज है।

यह है कि साबिक भूमि मुतनाजा के हाल सैटलमेन्ट में नये नम्बर 4858 लगा. 4864, 4865, 4866, 4867, 4874 लगा. 4880, 4883 लगा. 4900, 4864/5568 बनाये गये है हाल खसरा नम्बर 4865, 4866, 4867, 4864/5568 एवं 4892 साबिक खसरा नम्बर 2059, 2065 लगा. 2068 एवं 3368 के बनाये गये है इनका मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नं. 3339, 3340, 3347, 3342, 2057 मे बनना गलत दर्ज किया गया आराजी मुतनाजा पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से भूमि के उपजाऊपन के आधार पर पारिवारिक बंटवारा कर रखा है एवं गौके पर अलग-अलग काश्त कर रहे है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-
 गोदा - ख.नं. 4893/0.73, 4895/0.52, 4896/0.21, 4897/0.50, 4898/0.40, 4899/0.42, 4900/0.40 कुल रकबा 3.18 है0।

ज्ञाना - ख.नं. 4883/1.40, 4884/0.95, 4885/0.96 कुल रकबा 3.41 है0।

लक्ष्मण - ख.नं. 4858/0.24, 4862/0.38, 4863/0.95, 4890/0.03 कुल रकबा 1.60 है0।

शयोसहाय - ख.नं. 4859/0.49, 4860/0.70, 4861/0.46 कुल रकबा 1.65 है0।

गोपी - ख.नं. 4894/0.72, 4864/0.14, 4865/0.70, 4866/0.65, 4867/0.42, 4892/0.03, 4864/5568/0.80, 4886/0.02, 4891/0.06, 4892/0.03 कुल रकबा 3.57 है0।

4889/0.09, 4888/0.26 है0 को वादी व प्रतिवादीगण की सम्मिलित काश्त में है।

आराजी मुतनाजा पर बाहमी बंटवारे अनुसार गोदा के हिस्से की भूमि की खातेदारी गोदा के नाम व ज्ञाना के नाम एवं लक्ष्मण व शयोसहाय के हिस्से की भूमि की खातेदारी इन दोनों के नाम अलग-अलग दर्ज है। जबकि वादी गोपी की हिस्से की भूमि ख.नं. 4864 लगा. 4867, 4892 व 4864/5568 की खातेदारी में वादी गोपी के साथ साथ उसके पिता भगवाना पुत्र बेगा का नाम भी दर्ज कर दिया गया है एवं इस आधार पर प्रतिवादीगण भूमि पर कब्जा करने एवं जबरन बेदखल करने की धमकी देने लगे है अभी 10 दिन पूर्व भी प्रतिवादी ने स्पष्ट कहा है कि भूमि मुतनाजा में भगवाना पुत्र बेगा का नाम जो हिस्सा दर्ज है उसमें से हिस्सा लेकर रहेंगे, भगवाना पुत्र बेगा का देहान्त सन 1987 में ही हो चुका है व भूमि मुतनाजा वादी अकेले के ही हिस्से में व कब्जे की भूमि है अतः ख.नं. 4864 लगा. 4867, 4891,



राम राम
 जयपुर

64/5568 किता 10 रकबा 3.57 है 0 वाके ग्राम शाहपुरा की खातेदारी अकेले वादी के नाम दर्ज किये जाने हेतु वाद पत्र पेश किया गया है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारों को विधिवत सुना गया। प्रतिवादीगण की ओर से दावा पेश किया गया तथा प्रकरण में पेश सभी प्रार्थना पत्रों को सुना जाकर विधिवत निर्णय करते हुए प्रकरण साक्ष्य वादी की जिरह में विचाराधीन रहते प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर जाहिर किया कि दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जायें। प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा से स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुआ जो दर्ज रजिस्टर हों।

राजीनामा पेश होने पर राजीनामा व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में पाया गया कि वादीगण के पिता भगवाना के चार पुत्र कमशः ज्ञाना, हरनाथ, गोपी व गोदा थे तथा विवादित आराजी में ख०नं० 4893, 4895, 4898, 4897, 4898, 4899 व 4900 गोदा के नाम, ख०नं० 4883, 4884, 4885 ज्ञाना के नाम, ख०नं० 4858, 4862, 4863, 4859, 4860, 4861 लक्ष्मण व श्योसहाय पि० हरनाथ के नाम तथा ख०नं० 4894, 4864, 4865, 4866, 4867, 4892, 4864/5568 गोपी नाम बंटवारे में भूमि आई है। उक्त आराजी में ज्ञाना, हरनाथ व गोदा के बंटवारे में आई भूमि तो उनके स्वयं नाम दर्ज होना साबित है लेकिन गोपी की भूमि में गोपी के साथ उसके पिता भगवाना का भी 1/2 हिस्सा सहवन से दर्ज होना साबित होता है तथा प्रतिवादीगण उक्त गोपी के हिस्से में भगवाना पुत्र बेगा के नाम दर्ज भूमि को हफज कर अकेले गोपी के नाम दर्ज करने हेतु राजीनामा पेश कर दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया है। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भगवाना पुत्र बेगा की विरासत/ बंटवारा करते समय भगवाना के वारिसान में गोपी की भूमि के साथ उसके पिता का नाम सहवन से 1/2 हिस्से में रह गया है जो कि गलत है।

अतः मुताबिक राजीनामा के अनुसार ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा की हाल जमाबन्दी सं० 2074 से 2077 के खाता सं० 981 के ख०नं० 4867 रकबा 0.42 है 0 में भगवाना पुत्र बेगा का हिस्सा 1/2 हफज कर गोपी पुत्र भगवाना के का हिस्सा 158/168 में से उसके वारिसान वादी सं० 1/1 हि० 1/8, वादी सं० 1/2 लगा० 1/6 हि० 1/8, वादी सं० 1/7 लगा० 1/8 हि० 2/8, वादी सं० 1/9 लगा० 1/13 हि० 1/8, वादी सं० 1/14 लगा० 1/16 हि० 1/8, वादी सं० 1/17 लगा० 1/18 हि० 2/8 का खातेदार घोषित किया जाता है, शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। हाल जमाबन्दी सं० 2074 से 2077 के खाता सं० 597 के ख०नं० 4864, 4864/5568, 4865, 4866, कुल किता 4 रकबा 2.29 है 0 में भगवाना पुत्र बेगा का हिस्सा 1/2 हफज कर सम्पूर्ण भूमि वादी गोपी पुत्र भगवाना के वारिसान में वादी सं० 1/1 हि० 1/8, वादी सं० 1/2 लगा० 1/6 हि० 1/8, वादी सं० 1/7 लगा० 1/8 हि० 2/8, वादी सं० 1/9 लगा० 1/13 हि० 1/8, वादी सं० 1/14 लगा० 1/16 हि० 1/8, वादी सं० 1/17 लगा० 1/18 हि० 2/8 का खातेदार घोषित किया जाता है।

हॉल जमाबन्दी सं० 2074 से 2077 के खाता सं० 597 के ख०नं० 4892 रकबा 0.03 है 0 व खाता सं० 596 के ख०नं० 4886, 4888 कुल किता 2 रकबा 0.28 है 0 तथा खाता सं० 1194 के ख०नं० 4889, 4890, 4891, 4894 कुल किता 4 रकबा 0.90 है 0 इस प्रकार समस्त किता 7 रकबा 1.21 है 0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण के शामिलती में है जिसका नक्शा के अनुसार 0.0397 है 0 (477 वर्गगज) प्रतिवादी सं० 2 ज्ञाना पुत्र भगवाना के वारिसान 2/1 से 2/7 के हिस्से में व 0.0653 है 0 (784 वर्गगज) भूमि प्रतिवादी सं० 1 के वारिसान प्रतिवादी सं० 1/2 से 1/4 के हिस्से में तथा 0.0548 है 0 (658 वर्गगज) भूमि प्रतिवादी सं० 4 के हिस्से में व 0.0442 है 0 (530 वर्गगज) भूमि प्रतिवादी सं० 4 के हिस्से में रहेगी तथा 0.8610 है 0 (7931 वर्गगज) भूमि वादी के वारिसान वादी सं० 1/1 हि० 1/8, वादी सं० 1/2 लगा० 1/6 हि० 1/8, वादी सं० 1/7 लगा० 1/8 हि० 2/8, वादी सं० 1/9 लगा० 1/13 हि० 1/8, वादी सं० 1/14 लगा० 1/16 हि० 1/8, वादी सं० 1/17 लगा० 1/18 हि० 2/8 के हिस्से में रहेगी तथा शेष 0.17 है 0 भूमि खातेदार हनुमानसहाय पुत्र रामदेव के यथावत रहेगी, व शेष भूमि 0.1750 है 0 भूमि नक्शे के अनुसार रास्ते में काम आयेगी। राजीनाम निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जायें। पर्चा डिक्री जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 30/6/2021 को सरै इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(मन मोहन मीना)

उपस्थित अधिकारी
जयपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी
वाद पत्र संख्या

:- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
:- 259/2002 90/2013, (एसीएम) 36/2021 (एसडीओ)
उनवान

गोपी पुत्र भगवाना जाति जाट नि. ढाणी लालावाली तन शाहपुरा तह. शाहपुरा, जिला जयपुर।
(फौत दौराने वाद)

- 1/1. घीसी देवी पत्नि स्व. गोपी
- 1/2. नन्ही देवी पत्नि स्व. महादेव पुत्री स्व. गोपी
- 1/3. सुल्तान पुत्र स्व. महादेव पुत्र स्व. गोपी
- 1/4. राजेन्द्र पुत्र स्व. महादेव पुत्र स्व. गोपी
- 1/5. रामेश्वरी पुत्री स्व. महादेव पुत्र स्व. गोपी
- 1/6. गोठी पुत्री स्व. महादेव पुत्र स्व. गोपी
- 1/7. रामनारायण पुत्र स्व. गोपी
- 1/8. भैवर लाल पुत्र स्व. गोपी
- 1/9. प्रेम देवी पत्नि स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. गोपी
- 1/10. मुकेश पुत्र स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. गोपी
- 1/11. धर्मपाल पुत्र स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. गोपी
- 1/12. रीना पुत्री स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. गोपी
- 1/13. मीना पुत्री स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. गोपी
- 1/14. सन्ती देवी पत्नि स्व. नरसी पुत्र स्व. गोपी
- 1/15. रामसिंह पुत्र स्व. नरसी पुत्र स्व. गोपी
- 1/16. नरेन्द्र पुत्र स्व. नरसी पुत्र स्व. गोपी
- 1/17. ज्ञन्दू देवी पुत्री स्व. गोपी
- 1/18. सन्दुर देवी पुत्री स्व. गोपी

समस्त जातियान जाट नि.ढाणी लालावाली तन शाहपुरा तह. शाहपुरा, जिला जयपुर।
वादीगण

बनाम

1. गोधा पुत्र भगवाना (फौत)
 - 1/1. सूजा देवी पत्नि स्व. गोदा नाम हजफ आदेश दिनांक 24.06.2021
 - 1/2. प्रभाती देवी पत्नि स्व. गोदा
 - 1/3. सुमन देवी पुत्री स्व. गोदा
 - 1/4. सजना देवी पुत्री स्व. गोदा
2. ज्ञाना पुत्र भगवाना (फौत)
 - 2/1. छीतर पुत्र स्व. ज्ञाना
 - 2/2. कमली देवी पत्नि स्व. रामकरण पुत्री स्व. ज्ञाना
 - 2/3. रामवतार पुत्र स्व. रामकरण पुत्र स्व. ज्ञाना
 - 2/4. निकिता } पुत्री स्व. रामकरण पुत्र स्व. ज्ञाना
 - 2/5. अनुष्का } नाबालिग संरक्षक माता स्वयं कमली देवी
 - 2/6. चौथी देवी पुत्री स्व. ज्ञाना
 - 2/7. संतोष देवी पुत्री स्व. ज्ञाना
3. लक्ष्मण पुत्र हरसहाय (फौत)
 - 3/1. केसरी देवी पत्नि स्व. लक्ष्मण
 - 3/2. भागीरथ पुत्र स्व. लक्ष्मण
 - 3/3. आशा देवी
 - 3/4. हंसा देवी
 - 3/5. सुमित्रा देवी
 - 3/6. सुनीता देवी
 - 3/7. उर्मिला देवी

} पुत्री स्व. लक्ष्मण
4. श्योसहाय पुत्र हस्मान

समस्त जातियान जाट नि.ढाणी लालावाली तन शाहपुरा तह. शाहपुरा, जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार (भू-धारक)जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
6. गौरा देवी पत्नि स्व. नाथू (फौत)



उप सहाय अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

- 6/1. घन्वाराम } पुत्रान स्व. गौरा देवी
 6/2. ग्यारसी लाल }
 6/3. सुन्दर लाल }
 6/4. चौधुराम }
 6/5. महेश } पुत्रान सोनाराम पुत्र स्व. गौरा देवी
 6/6. साधुराम }
 6/7. हरिकेशन }
 6/8. सुरजी पुत्री स्व. सोनाराम
 6/9. सन्ती पुत्री सोनाराम
 6/10. लाडा देवी बेवा सोनाराम
7. हरसहाय पुत्र छोदूराम
 समस्त जातियान जाट निठाणी खिजूरावी तन शाहपुरा तह. शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दादा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
 दफा-88,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम - 1955

अतः मुताबिक राजीनामा के अनुसार ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा की हाल जमाबन्दी सं० 2074 से 2077 के खाता सं० 981 के ख० नं० 4867 रकबा 0.42 है० में भगवाना पुत्र बेगा का हिस्सा 1/2 हफज कर गोपी पुत्र भगवाना के का हिस्सा 158/168 में से उसके वारिसान वादी सं० 1/1 हि० 1/8, वादी सं० 1/2 लगा० 1/6 हि० 1/8, वादी सं० 1/7 लगा० 1/8 हि० 2/8, वादी सं० 1/9 लगा० 1/13 हि० 1/8, वादी सं० 1/14 लगा० 1/16 हि० 1/8, वादी सं० 1/17 लगा० 1/18 हि० 2/8 का खातेदार घोषित किया जाता है, शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। हाल जमाबन्दी सं० 2074 से 2077 के खाता सं० 597 के ख० नं० 4864, 4864/5568, 4865, 4866, कुल किता 4 रकबा 2.29 है० में भगवाना पुत्र बेगा का हिस्सा 1/2 हफज कर सम्पूर्ण भूमि वादी गोपी पुत्र भगवाना के वारिसान में वादी सं० 1/1 हि० 1/8, वादी सं० 1/2 लगा० 1/6 हि० 1/8, वादी सं० 1/7 लगा० 1/8 हि० 2/8, वादी सं० 1/9 लगा० 1/13 हि० 1/8, वादी सं० 1/14 लगा० 1/16 हि० 1/8, वादी सं० 1/17 लगा० 1/18 हि० 2/8 का खातेदार घोषित किया जाता है।

हॉल जमाबन्दी सं० 2074 से 2077 के खाता सं० 597 के ख० नं० 4892 रकबा 0.03 है० व खाता सं० 596 के ख० नं० 4886, 4888 कुल किता 2 रकबा 0.28 है० तथा खाता सं० 1194 के ख० नं० 4889, 4890, 4891, 4894 कुल किता 4 रकबा 0.90 है० इस प्रकार समस्त किता 7 रकबा 1.21 है० भूमि वादी व प्रतिवादीगण के शामिलती में है जिसका नक्शा के अनुसार 0.0397 है० (477 वर्गगज) प्रतिवादी सं० 2 ज्ञाना पुत्र भगवाना के वारिसान 2/1 से 2/7 के हिस्से में व 0.0653 है० (784 वर्गगज) भूमि प्रतिवादी सं० 1 के वारिसान प्रतिवादी सं० 1/2 से 1/4 के हिस्से में तथा 0.0548 है० (658 वर्गगज) भूमि प्रतिवादी सं० 3 के वारिसान प्रतिवादी सं० 3/1 से 3/7 व 0.0442 है० (530 वर्गगज) भूमि प्रतिवादी सं० 4 के हिस्से में रहेगी, तथा 0.6610 है० (7931 वर्गगज) भूमि वादी के वारिसान वादी सं० 1/1 हि० 1/8, वादी सं० 1/2 लगा० 1/6 हि० 1/8, वादी सं० 1/7 लगा० 1/8 हि० 2/8, वादी सं० 1/9 लगा० 1/13 हि० 1/8, वादी सं० 1/14 लगा० 1/16 हि० 1/8, वादी सं० 1/17 लगा० 1/18 हि० 2/8 के हिस्से में रहेगी तथा शेष 0.17 है० भूमि खातेदार हनुमानसहाय पुत्र रामदेव के यथावत रहेगी, व शेष भूमि 0.1750 है० भूमि नक्शे के अनुसार रास्ते में काम आयेगी। राजीनाम निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

आज तारीख 20/6/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



दादा के खर्च

वर्ग	रकबा	प्रतिवादी	रकबा
1. कर पत्र के लिए स्टाम्प	/	सक्रिय पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. सक्रिय पत्र के लिए स्टाम्प		अजी के लिए स्टाम्प	
3. बदली के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. करपत्र पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आवेदिका की तारीख	
6. कनिस्तर की फीस		कनिस्तर की फीस	
7. आदेशिका की फीस			
जोड़		जोड़	

(मन मोहन मीना)
 उप-सूब अधिकारी
 शाहपुरा जिला जयपुर